

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

मेहाडयजी

रिपोर्ट कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड - मे प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र रता गुर्जर इर्ष है। जमाबन्दी नाम - गोलवाड़ा के खाता संख्या 198, 199 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र रतीया इर्ष है। व संख्या 205 में भंवरलाल पुत्र रता इर्ष है। भंवरलाल पुत्र रतीया व भंवरलाल पुत्र रता एवं भंवरलाल पुत्र रता इर्ष सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भंवरलाल पुत्र रतीया भंवरलाल पुत्र रता के बजाय सभी नाम भंवरलाल पुत्र रता गुर्जर इर्ष किया जाना चाहिए।

मावली रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार
23/08/2024

मेहाडयजी

रिपोर्ट कि भू.अ.नि. व मावली एवं पटवारी हल्का - गोलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार गुर्जर इर्ष की अनुशाखा की जाती है।

प्र.सं.- 85/24
निर्णय दिनांक - 23/08/2024

तहसीलदार, मावली
जिला-सदरपुर (राज.)

आदेश
प्रार्थी भंवरलाल पिता रता द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम मौजा गोलवाड़ा पटवार हल्का गोलवाड़ा की खाता सं. 198, 199 में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र रतीया व भंवरलाल पुत्र रता के बजाय भंवरलाल पुत्र रता संशोधन किया जाने का निवेदन किया। पटवारी हल्का गोलवाड़ा एवं तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर नाम संशोधन किये जाने की अनुरोध की। अतः पटवारी हल्का गोलवाड़ा, तहसीलदार मावली की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गोलवाड़ा पटवार हल्का गोलवाड़ा की जमाबन्दी संख्या 2077-80 की खाता सं. 198, 199 में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र रतीया व भंवरलाल पुत्र रता के बजाय भंवरलाल पुत्र रता संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। सुनाया गया।



उपसहाय अधिकारी
(एस.डी.ओ.) मावली